



2026:AHC:9687

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19820 वर्ष 2025

राम सजीवन एवं 7 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दयानंद पाण्डेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दयानंद पांडेय और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री जितेंद्र अवधेश कुमार शुक्ला को सुना।
2. वर्तमान याचिका में प्रार्थना वर्ष 2015-16 से संबंधित यात्रा भत्ते की बकाया राशि के भुगतान हेतु निर्देश दिए जाने के लिए है।
3. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, जो दावे पर निर्णय लेगा।
4. न्यायालय में दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता 30.01.2026 तक तीसरे प्रत्यर्थी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, तीसरा प्रत्यर्थी तीन महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा।

जनवरी 14, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।